जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस नोट   दिनाँक 24.05.2025

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु कारित करने के मामले में 01 अभियुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 24.07.2025 को ***मा0 न्या0 ए0एस0जे0 प्रथम संतकबीरनगर*** द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 421/2023 धारा धारा 302/34, 323/34, 352/34, 504 भादवि थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त 1. अजय पाल पुत्र स्व0 राकेश पाल निवासी भरवल पर्वता थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को मुकदमा उपरोक्त में साबित आरोप धारा 304 भादवि खण्ड 01 आरोप में 05 साल के कठोर कारावास व 10,000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भोगना होगा। उक्त मुकदमें से सम्बन्धित एक अन्य अभियुक्त 2. विजय पाल पुत्र स्व0 राकेश पाल निवासी भरवल पर्वता थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को विरचित धारा 323 भादवि के आरोप में 01 साल से दण्डित किया गया, अभि0 ने उपरोक्त एक साल की सजा की अवधि पूर्व से ही जेल में व्यतीत कर लिया है।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 7669 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 7669 को थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत हैंसर बाजार से कालर द्वारा बाइक के अनियंत्रित होकर कुत्ते से टकरा जाने के कारण स्वयं के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल उक्त व्यक्ति को ईलाज हेतु प्राइवेट वाहन की सहाय्रता से सी0एच0सी0 मलौली भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु सी0एच0सी0 मलौली भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आरक्षी गौरव पाण्डेय, हो0चा0 वकील पाण्डेय ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 92 वाहनों से 94000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 24.07.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 92 वाहनों से 94000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।